न्यायालय सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : डॉ. प्रतिभा सिंह, आई.ए.एस.

विभागीय अपील संख्या 09/2024

अपीलांट	बनाम	रेस्पोटेन्ट
रामसिंह, सहायक प्रशा0 अधिकारी कार्यालय, तहसीलदार, रामसर जिला बाडमेर		जिला कलक्टर बाडमेर।

विभागीय अपील अन्तर्गत नियम 23 राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण नियंत्रण एंव अपील) नियम 1958 विरूद्व आदेश जिला कलक्टर बाडमेर क्रमांक प.1()(1) कार्मिक/2023/9044 दिनांक 27.08.2024 जिसके द्वारा नियम 17 के तहत् अपीलांट को उनकी एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया।

उपस्थितिः——

1. **अपीलान्ट स्वयं उपस्थित।**
2. **विभागीय पैरोकार तहसीलदार, रामसर उपस्थित।**

निर्णय

दिनांकः 24 जून,2025

1. अपीलान्ट ने यह अपील जिला कलेक्टर, बाडमेर द्वारा राज0 असैनिक सेवाये नियम 1958, के नियम 17 के तहत उनकी एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित कर दिये जाने पर, राज0 असैनिक सेवाये नियम 1958, के नियम 23 के तहत दिनांक 07.12.2024 को प्रस्तुत की गई है।
2. प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर जिला कलेक्टर, बाडमेर से अपील पर टिप्पणी एवं उनका मूल अभिलेख तलब किया गया।
3. तत्पश्चात उपस्थित अपीलान्ट एवं विभागीय पैरोकार श्री नथाराम, तहसीलदार रामसर को सुना गया। अपीलान्ट ने दौराने सुनवाई मुख्य रूप से यह कथन किया कि अपीलान्ट तहसील कार्यालय रामसर जिला बाडमेर में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदस्थापित रहने के दौरान जिला कलक्टर, बाडमेर ने अपने ज्ञापन क्रमांक 2953 दिनांक 04.07.2023 के द्वारा अपीलान्ट को निम्न आरोप से आरोपित किया गयाः——

आरोप संख्या 1

यह है कि श्री रामसिंह सहायक प्रशासनिक अधिकारी (पंजीयन लिपिक) तहसील कार्यालय रामसर के पद पर कार्यरत रहने के दौरान मौजा गागरिया स्टेशन पटवार हल्का गागरिया तहसील रामसर के संयुक्त खातेदारों के खसरा नम्बर 211/100 के रकबा 3.4801 हैक्टेयर एंव खसरा नम्बर 213/100 के रकबा 0.1401 हैक्टेयर भूमि को श्री राणा खान पुत्र खान मोहम्मद निवासी जुनजों की बस्ती भाडखा तहसील बाडमेर को

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

बेचान दिनांक 14.06.2023 पंजीयन क्रमांक 202301086000323 तथा मौजा कटंलिया का पार पटवार हल्का गागरिया के संयुक्त खातेदारों के खसरा नम्बर 157 रकबा 0.3776 हैक्टेयर भूमि दिनांक 14.06.2023 पंजीयन कमांक 202301086000322 द्वारा श्री बक्शा खान पुत्र सिक्का खान निवासी पुनिया का पाडा जैसार तहसील चौहटन के पक्ष में बैचान किया गया। उक्त भूमि पर माननीय न्यायालय का स्थगन होने के उपरान्त भी प्रतिबंधित भूमि का बेचान दस्तावेजों का पंजीयन किया जाना एक गंभीर अनियमितता की श्रेणी में आता है।

आरोप संख्या 2

मौजा गागरिया स्टेशन पटवार हल्का गागरिया तहसील रामसर के संयुक्त खातेदारों के खसरा नम्बर 211/100 के रकबा 3.4801 हैक्टेयर एंव खसरा नम्बर 213/100 के रकबा 0.1401 हैक्टेयर भूमि को श्री राणा खान पुत्र खान मोहम्मद निवासी जुनजों की बस्ती भाडखा तहसील बाडमेर को बैचान दिनांक 14.06.2023 पंजीयन कमांक 202301086000323 तथा मौजा कंटलिया का पार पटवार हल्का गागरिया के संयुक्त खातेदारों के खसरा नम्बर 157 रकबा 0.3776 हैक्टर भूमि दिनांक 14.06.2023 पंजीयन कमांक 202301086000322 द्वारा श्री बक्शा खान पुत्र सिक्का खान निवासी पुनिया का पाडा जैसार तहसील चौहटन के पक्ष में बैचान किया गया। उक्त पंजीयन रात 08:00 बजे किया जाना पाया गया जबकि यह राजकीय कार्यालय समय के पश्चात् किया जाना वर्जित है। यह कृत्य अपने पदीय कर्तव्यो के प्रति घोर लापरवाहीं का घोतक है।

3. अपीलांट के द्वारा उक्त ज्ञापन का प्रतिउत्तर दिनांक 25.07.2023 को प्रस्तुत कर आरोपों को अस्वीकार करते हुए संस्थित अनुशासनिक कार्यवाहीं को खारिज कर अपीलांट के विरूद्व सीसीए रूल 17 के अन्तर्गत विचाराधीन कार्यवाही को समाप्त करने की अनुकम्पा करने का निवेदन किया गया।

4. अपीलान्ट ने यह भी कथन किया कि श्रीमान जिला कलेक्टर बाडमेर के पत्र कमांक प. 1()(1) कार्मिक/2023/4046 दिनांक 11.08.2023 द्वारा श्रीमान उपखण्ड अधिकारी रामसर को अपीलांट के विरूद्व राजस्थान सिविल सेवा नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत प्रस्तावित अनुशासनात्मक कार्यवाहीं ज्ञापन कमांक 2953 दिनांक 04.07.2023 व अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जवाब दिनांक 25.07.2023 के सम्बन्ध में टिप्पणी भिजवाने बाबत् लिखा गया, जिस पर उपखण्ड अधिकारी रामसर ने अपने पत्रांक 4427 दिनांक 29.12.2023 द्वारा अपीलांट के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाहीं के सम्बन्ध में बिन्दुवार टिप्पणी भिजवाते हुए अंकित किया कि दिनांक 14.06.2023 को प्रशासन गॉवों के संग अभियान 2023 एवं मंहगाई राहत कैम्प ग्राम पंचायत सुराली तहसील रामसर में आयोजन हो रहा था। तहसीलदार (उप पंजीयक) के कैम्प स्थल से वापस रामसर मुख्यालय पर पहुॅचने पर सांय करीबन 06.00 बजे पक्षकारों के द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत किये गये थे और तहसीलदार(उप पंजीयक) द्वारा दस्तावेज मार्क किये गये तथा अपीलांट द्वारा कम्प्यूटर पर दस्तावेजों के पंजीयन हेतु आवश्यक कार्यवाही की गई, ऐसे में जो समय लगा वो दस्तावेजों के पंजीकरण की प्रकिया में लगा, जो कि कम्प्यूटर तकनीकी प्रकिया का भाग है। अतः पंजीयन में देरी, दस्तावेज मार्किग के बाद की पंजीयन प्रकिया है तथा प्रकियाबद्व निष्पादन को देरी में शुमार किया जाना उचित है। अपीलांट के द्वारा कर्तव्य के प्रति लापरवाही एवं

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

उच्चाधिकारीयों के आदेशो की अवहेलना किया जाना नही पाया गया। इस प्रकार श्रीमान उपखण्ड अधिकारी रामसर के द्वारा अपीलांट के विरूद्व जारी आरोप पत्र फाईल किये जाने की अनुशंषा की गई थी।

5. अपीलान्ट ने यह भी कथन किया कि जिला कलेक्टर बाड़मेर द्वारा आरोपित आरोप के सम्बन्ध में उसकी ओर से पेश जवाब में यह अंकित किया गया था कि दिनांक 14.06.2023 को खातेदार श्री बांकाराम वगैराह द्वारा भूमि बेचान के दो दस्तावेज ग्राम कंटलिया का पार खसरा संख्या 157 एवं ग्राम गागरिया स्टेशन के खसरा संख्या 211/100 व 213/100 के उप पंजीयक (तहसीलदार) महोदय रामसर के समक्ष सांय करीबन 6.00 बजे, उप पंजीयक (तहसीलदार) रामसर के प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023 एवं मंहगाई राहत शिविर ग्राम पंचायत सुराली केम्प से वापिस रामसर पहुॅचने पर उनके समक्ष प्रस्तुत किये गये। उपपंजीयक (तहसीलदार) द्वारा उक्त दस्तावेजों को तत्काल पंजीबद्व करने के निर्देश दिये गये थे क्योंकि उन्हे दूसरे दिन पुनः कैम्प में जाना था। अपीलांट (पंजीयन लिपिक) के द्वारा दस्तावेजों का परीक्षण किया गया और उसके साथ में प्राप्त पटवारी हल्का गागरिया द्वारा प्रदत खसरा नक्शा एवं जमाबन्दी की प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया जिसमें कहीं पर भी इस भूमि के बेचान पर प्रतिबंध होने का, न्यायालय का स्थगन आदेश हो, ऐसे तथ्य अंकित नहीं थे। उक्त दस्तावेजों के संलग्न पक्षकारो द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र (अ) तथा इसके साथ ही उनके द्वारा प्रस्तुत शपथपूर्वक घोषणा का अवलोकन किया गया। पक्षकारों के द्वारा उक्त प्रपत्र के बिन्दु संख्या 3 में यह स्पष्ट घोषणा की गई थी कि सम्पत्ति के हस्तान्तरण/पंजीयन के सम्बन्ध में किसी न्यायालय का कोई स्थगन आदेश जारी नही है। इसके अलावा स्थगन आदेश जारी होने सम्बन्धी कोई तथ्य/कागजात उपपंजीयक कार्यालय में उपलब्ध नही थें और न ही किसी के द्वारा स्थगन होने सम्बन्धी कोई कागजात पेश किये गये थे। ऐसे में किसी भी व्यक्ति द्वारा उल्लेखित दस्तावेज के सम्बन्ध में अपनी आपत्ति पंजीयन से पूर्व दर्ज नहीं कराने के कारण दस्तावेजों का पंजीयन करने से रोके जाने का कोई आधार नहीं था। दस्तावेजों के पंजीबद्व होने के बाद उप पंजीयक कार्यालय के पास ऐसी सूचना प्राप्त होने पर उनके द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना में सम्बन्धित पक्षकारों को पंजीबद्व दस्तावेजों की प्रतियॉ देने से पूर्व दस्तावेजों पर पंजीयन नियम 39 के अन्तर्गत स्थगन आदेश जारी होने बाबत नियमानुसार नोट अंकित कर दिये गये थे और तहसीलदार कार्यालय के द्वारा भी पटवारी हल्का गागरीया एवं निरीक्षक भू.अ. गागरिया को उक्त दस्तावेजों के सम्बन्ध में न्यायालय सहायक कलेक्टर द्वारा स्थगन के निर्णय नहीं होने तक, नामान्तरकरण की कार्यवाही नहीं करने बाबत लिखा गया था। इस से न्यायालय के द्वारा जारी स्थगन आदेश के विरूद्व भूमि की स्थिति में परिर्वतन सम्बन्धी या आदेश की अवहेलना किये जाने सम्बन्धी कोई कार्यवाही होने की संभावना ही नहीं रही।

6. अपीलान्ट ने यह भी कथन किया कि पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के परिपत्र संख्या 3/2015 दिनांक 17.06.2015 के बिन्दु संख्या 12 (7) में यह स्पष्ट प्रावधान है कि जब किसी वाद में पंजीयक को पक्षकार नहीं बनाया गया हो तो दस्तावेज के पंजीयन होने को नहीं रोका जावे व स्थगन जारी होने के तथ्य ध्यान में आते ही राजस्थान पंजीयन नियम 1955 के नियम 39 के तहत पंजीयन दस्तावेजों पर नोट अंकित किया जाये, जो उक्त पंजीयन दस्तावेजों पर अंकित कर दिया गया था। इस प्रकार अपीलान्ट के द्वारा किसी भी प्रकार से न तो कोई

न्यायालय संभागीय आयुक्त जोधपुर

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अनियमितता बरती गई और न ही राजकीय कार्यो के प्रति लापरवाही बरती गई थी। मात्र दस्तावेजों के पंजीयन की प्रक्रिया में जो समय लगा, वह कम्पयूटर की तकनीकी प्रक्रिया का भाग था जिसे दस्तावेजों को देरी से पंजीयन किये जाने की अवधि में हुए विलम्ब में शुमार नहीं किया जा सकता था।

7. अपीलान्ट ने यह भी कथन किया कि श्रीमान जिला कलक्टर बाडमेर के द्वारा अपीलांट के प्रत्युतर को स्वीकार न करते हुए अपने निर्णय दिनांक 27.08.2024 को अपीलांट की एक वार्षिक वेतनवृद्वि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित कर दिया गया है, जबकि उपखण्ड अधिकारी रामसर द्वारा भेजी गई टिप्पणी में यह स्पष्ट अंकित किया गया था कि अपीलांट द्वारा किसी प्रकार की दुर्भावना, नियमों या आदेशों की अवहेलना व लापरवाही किया जाना नहीं पाया गया तथा अपीलांट के विरूद्ध जारी आरोप पत्र को फाईल किये जाने की अनुशंषा की गई थी। अतः उपरोक्त सम्पूर्ण तथ्यों के आधार पर अपीलांट की अपील को स्वीकार किया जाये एंव श्रीमान जिला कलक्टर बाडमेर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.08.2024 को निरस्त कर अपीलांट को दोषमुक्त किये जाने के आदेश प्रदान किये जाये।

8. प्रत्युतर में दौराने बहस उपस्थित रहे विभागीय पैरोकार श्री नथाराम, तहसीलदार रामसर ने जिला कलेक्टर, बाडमेर के द्वारा प्रेषित टिप्पणी को ही अपनी बहस माने जाने का निवेदन किया तथा जिला कलेक्टर बाडमेर के द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध पारित दण्ड को यथावत रखे जाने का निवेदन किया। जिला कलेक्टर बाडमेर ने प्रेषित टिप्पणी में यह उल्लेख किया है कि अपीलान्ट के द्वारा विभागीय जॉच के जवाब में न्यायालय सहायक कलेक्टर व उपखण्ड मजिस्ट्रेट, रामसर में विचाराधीन प्रकरण संख्या 15/2023 अनवान रामूदेवी बनाम देवी में उपपंजीयक के पक्षकार नहीं बनाने का कथन, तहसीलदार व उपपंजीयक रामसर दोनों एक ही होने से उचित प्रतीत नहीं होने, उपपंजीयक कार्यालय को स्थगन आदेश की जानकारी होने व दिनांक 14.6.2024 को कार्यालय समाप्ति के पश्चात दस्तावेज पंजीयन करने के आरोप साबित होने के आधार पर अपीलान्ट की एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है। अतः अपीलान्ट की अपील सारहीन व आधारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

9. हमने अपीलान्ट एवं विभागीय पैरोकार के द्वारा दौराने बहस प्रकट किये गये तथ्यों पर गहनता से चिंतन एवं मनन किया तथा अपील एवं अपील पर जिला कलेक्टर, बाडमेर द्वारा प्रेषित टिप्पणी का भी अवलोकन किया, जिससे यह पाया गया है कि अपीलान्ट कार्मिक को कुल 02 आरोपों से आरोपित किया गया है जिनमें न्यायालय सहायक कलेक्टर व उपखण्ड मजिस्ट्रेट, रामसर में विचाराधीन प्रकरण संख्या 15/2023 अनवान रामूदेवी बनाम देवी में स्थगन होने के बावजूद प्रतिबन्धित भूमि के बेचान दस्तावेजों का पंजीयन किया जाना तथा दस्तावेज का पंजीयन, कार्यालय समय की समाप्ति के पश्चात करने के आधार पर आरोपित आरोप प्रमाणित होना मानते हुए जिला कलेक्टर, बाडमेर के द्वारा अपीलान्ट को उनकी एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है।

10. अपीलान्ट पर आरोपित आरोप में दर्शाये गये स्थगन आदेश की प्रति उप पंजीयक कार्यालय में रिकार्ड पर प्राप्त नहीं होना पाया गया है और न ही उप पंजीयक, रामसर को उपखण्ड अधिकारी, रामसर न्यायालय में विचाराधीन राजस्व आवेदन संख्या 15/2023 अनवान रामुदेवी बनाम देवी वगैराह में पक्षकार बनाया गया था। ऐसे में उपपंजीयक कार्यालय एवं

विभागीय आयुक्त
जोधपुर

अपीलान्ट (पंजीयन लिपिक) को स्थगन की जानकारी दस्तावेज पंजीयन के समय नहीं होना प्रकट होता है। साथ ही अपीलान्ट के द्वारा स्वयं के अपील मीमों में यह कथन किया गया है कि अपीलान्ट को ज्ञापन प्राप्त होने पर समय पर लिखित में प्रत्युतर जिला कलेक्टर, बाडमेर को प्रस्तुत कर दिया गया था तथा उक्त प्रत्युतर पर श्रीमान जिला कलेक्टर, बाडमेर द्वारा उपखण्ड अधिकारी, रामसर जिला बाडमेर से टिप्पणी चाही गई, उस पर भेजी गई टिप्पणी में अपीलान्ट को जारी आरोप पत्र फाईल किये जाने की अनुशंषा किये जाने के बावजूद भी अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए अपीलान्ट को उनकी एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से को दण्डित किया गया है जो कि निरस्त किये जाने योग्य है।

11. प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी, रामसर, जिला बाडमेर की जॉच रिपोर्ट पत्रांक संस्थापन/2023/4426 दिनांक 29.12.2023 के रूप में पत्रावली में संलग्न है जो कि उपखण्ड अधिकारी, रामसर द्वारा जिला कलेक्टर, बाडमेर को प्रेषित की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार उपखण्ड अधिकारी, रामसर के द्वारा अपीलान्ट पर आरोपित आरोपों पर वस्तुस्थिति की जॉच की जाकर बिन्दूवार टिप्पणी प्रेषित की गई है, जिसके अनुसार महानिरीक्षक, पंजीयन एंव मुद्रांक विभाग के परिपत्र संख्या 3/2015 दिनांक 17.06.2015 के बिन्दु संख्या 12 (VII) में स्पष्ट है कि जब किसी वाद में उप पंजीयक को पक्षकार नही बनाया गया है तो पंजीयन दस्तावेज को नही रोका जावे व राजस्थान पंजीयन नियम 1955 के नियम 39 का नोट ध्यान आते ही अंकित किये जाने की कार्यवाही की जावें।

12. उपखण्ड अधिकारी, रामसर की जॉच रिपोर्ट दिनांक 29.12.2023 में यह भी अंकित किया गया है कि इस प्रकरण में उपपंजीयक, रामसर जिला बाडमेर द्वारा पंजीयन विभाग के नियमों की पालना करते हुए पंजीयन दस्तावेज पर नियम 39 में नोट अंकित कर दस्तावेज का पंजीयन किया जाना पाया गया तथा उपपंजीयक कार्यालय वाद में पक्षकार एवं पाबन्द नहीं है। उप पंजीयक, रामसर कार्यालय के द्वारा पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक को रेकर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया गया तथा किसी प्रकार का नामान्तरकरण दायर नहीं हुआ है। रेकर्ड व मौके की आदिनांक यथास्थिति बनी रही। इस प्रकार अपीलान्ट कार्मिक के द्वारा किसी प्रकार की दुर्भावना, नियमों या आदेश की अवहेलना किया जाना प्रतीत नहीं होता है।

13. इसी प्रकार आरोप संख्या 02 के संदर्भ में जॉच रिपोर्ट दिनांक 29.12.2023 में टिप्पणी अंकित की गई है कि अपीलान्ट ने अपने प्रत्युतर में जाहिर किया है कि दिनांक 14.06.2023 को प्रशासन गांवो के संग अभियान, 2023 एवं मंहगाई राहत कैम्प था और कैम्प समाप्त होने के उपरान्त उपपंजीयक के सांय 6.00 बजे कार्यालय में पहुंचने पर दस्तावेज तहसील में पंजीयन हेतु पेश हुए और उनके द्वारा मार्क किया गया तथा जो समय लगा, वो दस्तावेजों के पंजीकरण की प्रकिया में लगा। यह कम्पयूटर तकनीकी प्रकिया का भाग है, पंजीयन में देरी, मार्किंग के बाद की पंजीयन प्रकिया है तथा प्रकियाबद्ध निष्पादन को देरी में शुमार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार उपखण्ड अधिकारी, रामसर, जिला बाडमेर ने आरोपित कार्मिक के प्रत्युतर में तमाम तत्कालीन परिस्थितियों तथा नियमों के मध्यनजर प्रकरण में श्री रामसिंह सहायक प्रशासनिक अधिकारी की कर्तव्य के प्रति लापरवाही या उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना किया जाना नहीं पाया गया तथा अपचारी अधिकारी के विरूद्ध जारी आरोप पत्र फाईल किये जाने की स्पष्ट अभिशंषा की गई है।

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

14. जिला कलेक्टर, बाडमेर के पत्रांक 4047 दिनांक 11.8.2023 द्वारा स्वयं जिला कलेक्टर, बाडमेर द्वारा उपखण्ड अधिकारी, रामसर से इस प्रकरण में बिन्दूवार तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट चाही गई है, वह जॉच रिपोर्ट उपखण्ड अधिकारी, रामसर ने अपने पत्रांक सस्थापन/2023/4427 दिनांक 29.12.2023 द्वारा जिला कलेक्टर, बाडमेर को प्रस्तुत भी की है, जिसमें उपखण्ड अधिकारी, रामसर ने अपीलान्ट पर लगाये गये सभी आरोपों को सिद्ध नहीं होना बताया है तथा जारी आरोपपत्र को फाईल किये जाने की अनुशंषा की गई है। उपखण्ड अधिकारी, रामसर की इस रिपोर्ट का जिला कलेक्टर, बाडमेर ने अपीलाधीन निर्णय में कोई उल्लेख नहीं किया है जबकि उक्त जॉच स्वयं जिला कलेक्टर, बाडमेर के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, रामसर से स्वयं करवाई गई थी, फिर ऐसी जॉच रिपोर्ट मंगवाने का क्या औचित्य रह जाता था, जब इसमें अंकित तथ्यों को न तो देखा गया है और न ही पारित निर्णय दिनांक 27.08.2024 में जिला कलेक्टर, बाडमेर द्वारा कोई अंकन किया गया।

15. इसके अलावा जिला कलेक्टर, बाडमेर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 27.08.2024 में आरोपित आरोपों एवं जॉच रिपोर्ट का तुलनात्मक विश्लेषण भी नहीं किया गया है। ऐसे में जिला कलेक्टर, बाडमेर के द्वारा अपीलान्ट को दोषी मानते हुए अपीलाधीन आदेश से उनकी एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने से दण्डित किया गया है, उसे उचित नहीं ठहराया जा सकता है। अतः उल्लेखित समस्त तथ्यों पर विवेचन एवं विश्लेषण करने के उपरान्त अपीलान्ट पर आरोपित किये गये आरोप निराधार प्रतीत होते है तथा अपीलान्ट की अपील स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार की जाकर जिला कलेक्टर, बाडमेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.08.2024 को निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

16. अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों पर विवेचन एवं विशलेषण के परिणामस्वरूप अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाती है तथा जिला कलेक्टर, बाडमेर के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.08.2024 को निरस्त किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 24 जून, 2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. प्रतिभा सिंह)
सम्भागीय आयुक्त,
जोधपुर